न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र संख्याः—20 / 2019

अशोक कुमार पुत्र श्री नौरतनसिंह जाति फौजदार निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर। ..... प्रार्थी

बनाम

1. **शिवचन्द्रभान पुत्र इन्द्रदेव जाति जाट निवासी 375 कृष्णा नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।**
2. **जयपाल पुत्र फौरनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम जघीना तहसील व जिला भरतपुर।**

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

आदेश

दिनांकः— 18—12—2019

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 3490 / 0.24 वाके ग्राम जघीना नं0 2 तह0 व जिला भरतपुर में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी 53 / 448 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज है और अपने उक्त हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है।

आराजी में प्रार्थी का 53 / 448 हिस्सा है जो कि अभी शामिल काश्त में है जिसका कानूनी रूप से कोई विभाजन नहीं हुआ है। लेकिन अब प्रार्थी व अप्रार्थीगण का साथ शामिल में काश्त करना संभव नहीं रहा है, क्योंकि अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थी की काश्त में व्यवधान करता रहता है इसी कारण प्रार्थी उक्त आराजी में अपने हिस्से का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी के आधार पर विभाजित करा पाने का अधिकारी है।

दिनांक 14.03.2019 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी है कि अब अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करेगा और प्रार्थी को बेदखल करेगा और जबरन पुख्ता निर्माण कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी को खुर्द–बुर्द करेगा। अगर अप्रार्थीगण अपने इरादे में सफल हो गया तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी , जिसकी पूर्ति जरिये नकद से हो पाना संभव नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ताफैसला अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत मजाहमत नहीं करें। आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें एवं कोई पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करें एवं ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थी के हक–हकूकों पर विपरीत असर आये। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में जमाबंदी संवत 2072–75 की छायाप्रति पेश की हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.03.2019 को वादग्रस्त आराजी की बावत उभयपक्षकारान को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और दि0 14.10.2019 को अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं0 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि आराजी खसरा नंबर 3490/0.24 के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 के 1/2 हिस्से को अप्रार्थी सं0 2 द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिफल राशि देकर क्रय किया है। अप्रार्थी सं0 2 एक बोनाफाइड पर्चेजर है जिसको अपनी खरीदशुदा आराजी का उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। बोनाफाइड पर्चेजर को किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है और इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.03.2019 को खारिज किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार है –

1. **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :–** प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नंबर 3490/0.24 वाके ग्राम जघीना नं0 2 तहसील व जिला भरतपुर की बावत प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी 53/448 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा आराजी का विभाजन चाहते हुए ताफैसला मूलवाद अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अनुतोष चाहा है। जवाब में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए प्रार्थी का 2 एयर रकबा अपने जवाब में स्वीकार किया है और यह अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा दावा दायरी से पूर्व ही आराजी को क्रय कर लिया है और अंत में अप्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

   पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2072–2075 का अवलोकन करने से यह जाहिर है कि प्रार्थी आराजी में 53/448 हिस्से का सह खातेदार कृषक दर्ज है तथा अप्रार्थी शिवचन्द्रभान भी 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है। शेष सहखातेदारान को प्रार्थी द्वारा मूलवाद में पक्षकार बनाया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह–खातेदार दर्ज हैं और सह–खातेदारी में विवादित आराजी को सुरक्षित रखना न्यायालय का कर्तव्य है। प्रार्थी का वाद पत्र विभाजन से संबंधित है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या प्रकरण दोनों पक्षों के हक में बनना पाया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलन :–** वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की सह–खातेदारी की आराजी है। आराजी के प्रत्येक इंच में प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा व कब्जा है। यदि दौराने दावा वादग्रस्त आराजी का कोई भी विशिष्ट भू–भाग खुर्द–बुर्द होता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बेचान होता है तो अनावश्यक वाद बहुलता बढेगी। दावा विभाजन का होने के कारण दोनों ही पक्षों को असुविधा होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः सुविधा का संतुलन भी दोनों ही पक्षों के हक में प्रतीत होता है।

Web Copy - Not Official

3. **अपूरणीय क्षति :–** वादग्रस्त आराजी को दौराने दावा किसी भी पक्षकार द्वारा खुर्द–बुर्द या अन्यत्र हस्तान्तरण किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी दोनों ही पक्षों को होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यह बिन्दु भी दोनों ही पक्षों के हक में निर्णित किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु उभयपक्षकारान के हक में निर्णित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम जघीना नं0 2 तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 3490/0.24 पर उभयपक्षकारान को ताफैसला मूलवाद मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official